

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक:—प.3(55)नविवि / 3 / 2002पार्ट

जयपुर, दिनांक:

आदेश

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए जारी की गयी भूमि आवंटन नीति-2015 की समीक्षा हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है:—

1. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।	अध्यक्ष
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
3. शासन उप सचिव—द्वितीय, नविवि	सदस्य
4. शासन उप सचिव—तृतीय, नविवि	सदस्य
5. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि	सदस्य
6. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग	सदस्य
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि	सदस्य
8. श्री राजेश तुलारा, अति. मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम)	सदस्य
9. शासन उप सचिव—प्रथम, नविवि	सदस्य सचिव

“कमेटी द्वारा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 07.06.2024 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जावे।”

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)  
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग।
5. शासन उप सचिव—प्रथम / द्वितीय / तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि।
9. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, स्वायत्त शासन विभाग।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक, नविवि
11. श्री राजेश तुलारा, अति. मुख्य नगर नियोजक (पश्चिम), नगर नियोजन विभाग।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय **राजस्थान** पर अपलोड किये जाने हेतु।

7711857



शासन उप सचिव—प्रथम